संख्याः पीसीएच-एचए(1)5/2008-II-19491-19597
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेशकः-

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषितः-

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी
   हिमाचल प्रदेश

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी
   हिमाचल प्रदेश

शिमला-171009, दिनांक 21 जुलाई, 2023

विषयः- ग्राम पंचायतों को जल जनित रोगों के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाढ़ के परिणामस्वरूप बरसात के मौसम में जल जनित बीमारियों में वृद्धि की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के प्रकोप को रोकने में ग्राम पंचायतों की अहम भुमिका है तथा इन संस्थाओ को अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखनी होगी। जलजनित बीमारियाँ, रोग जनकों – बैक्टीरिय, वायरस,परजीवी या अन्य जीवों के कारण होती हैं - जो कि दूषित पानी में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त असुरक्षित भोजन अपर्याप्त स्वच्छता और खराब व्यक्तिगत स्वच्छ, सीवेज रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट या दूषित पानी जलजनित बीमारियों का प्राथमिक कारण है। जब पानी के प्राकृतिक स्रोत जैसे झीलें और नदियाँ दूषित हो जाते हैं तब भी जल जनित रोग फैलतें है ।

जलजनित रोग कई प्रकार के होते हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने लक्षण और उपचार विकल्प होते हैं। जलजनित रोगों के सबसे आम प्रकारों में शामिल हैं (टाइफाइड बुखार, हैजा, हेपेटाइटिस ए इत्यादि। जल जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्कता हैः-

जनता को निम्नलिखित सावधानियों का पालन करने की सलाह दी जाए:

1. केवल सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें।
2. पीने के लिए उबला हुआ पानी का उपयोग करें।
3. घर में बने भोजन को प्राथमिकता दी जाए। बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोना सुनिश्चित करें।
4. बाढ़ के पानी में भीगी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग न किया जाए। खाना पकाने से पहले सब्जियों, फलों और अन्य खाद्य पदार्थों को साफ पानी से धोए।
5. यदि किसी को बुखार या दस्त होता है तो उन्हें चिकित्सा शिविरों सहित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य देखभाल लेनी चाहिए। स्व-उपचार उचित नहीं है।
6. सभी जल स्रोतों की उचित जाँच करें और जल शक्ति विभाग एवं संबंधित विभागों के साथ उचित संपर्क सुनिश्चित करें।
7. यदि मृत जानवर या पक्षी देखे जाएं तो उन्हें पंचायत अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए और गहरा दफन करके और ब्लीचिंग पाउडर फैलाकर उनका निपटान किया जाना चाहिए।
8. ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पेयजल स्रोतों की सफाई करना सुनिश्चित करें।

अतः आप उक्त दिशानिर्देशों को ग्राम पंचायतों को अनुपालना हेतु प्रेषित करें तथा इनका आम जनता मे प्रचार तथा प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए ।

अतिरिक्त निदेशक,(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश ।